

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन-भोपाल, 462004

क्रमांक / 1243/337/ आउशि / शाखा-8 / 09
प्रति.

भोपाल, दिनांक 15/09/2009

प्राचार्य
नीचे दर्शाये अनुसार शासकीय महाविद्यालय,
मध्य प्रदेश ।

विषय:- प्रतिभा किरण योजना की नवीन / नवीनीकरण छात्राओं हेतु बजट आवंटन वर्ष 2009-2010

संदर्भ:- 1. शासन का पत्र क्रमांक एफ-19-1/08/2-अड़तीस दिनांक 05.01.2008

2. पत्र क्रमांक 452/337 आउशि / शाखा-8 / 09 दिनांक 13.मई, 2009

...

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रतिभा किरण योजनान्तर्गत निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित राशि का अतिरिक्त बजट आवंटन स्वीकृत किया जाता है:-

डीडीओ कोड	महाविद्यालय का नाम	स्थान	जिला	राशि
0303802001	शासकीय जयवन्ती हक्सर स्नातकोत्तर महाविद्यालय	बैतूल	बैतूल	3000
0803802002	शासकीय कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय	दमोह	दमोह	3000
1363802007	शासकीय महाविद्यालय	राघवगढ़	गुना	3000
2503802002	शासकीय कन्या महाविद्यालय	मुरैना	मुरैना	3000
3423802003	शासकीय विवेकानंद महाविद्यालय	मैहर	सतना	9000
3403802001	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	सतना	सतना	75000
3403802002	शासकीय कन्या महाविद्यालय	सतना	सतना	9000
3903802001	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	शिवपुरी	शिवपुरी	24000
	योग			1,29,000

(रुपए एक लाख उन्तीस हजार)

उक्त राशि का व्यय बजट शीर्ष 44-2202-03-103-5476-0101-41-002 (प्रतिभा किरण योजना) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

यह जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी कि कोई भी पात्र छात्रा इस योजना के लाभ से वंचित न हो ।

निम्नलिखित तथ्यों का प्रमाण-पत्रों के आधार पर परीक्षण एवं सत्यापन करने के उपरांत ही छात्रवृत्ति का वितरण किया जाए-

1. शासन के संदर्भित पत्र में दर्शाए गये नियम मापदण्डों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करे ।
2. छात्रा ने जिस वर्ष 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की हो व निरन्तरता के साथ प्रथम वर्ष 2008 में प्रवेशित हो इसका परीक्षण एवं सत्यापन महाविद्यालय स्तर से किया जाए ।
3. छात्रा ने उच्च शिक्षा के अध्ययन हेतु प्रथम वर्ष में महाविद्यालय में नियमित प्रवेश लिया हो एवं अध्ययनरत हो ।
4. पूर्व वर्ष 2007-08 में चयनित छात्रा ने सफलतापूर्वक उर्तीण होकर निरन्तरता के साथ अग्रिम कक्षा में प्रवेश लिया हो ।
5. यदि छात्रा संदर्भित पत्रानुसार अनुदान प्राप्त / अप्राप्त अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेशित हो और वह पात्र पाई गई है तो उसके लिए बजट आवंटन अध्ययनरत छात्रा के महाविद्यालय के जिले में स्थित संबंधित विभागीय अग्रणी महाविद्यालय को भेजा जा रहा है । यह अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य का दायित्व

- होगा कि संबंधित अशासकीय महाविद्यालय के बारे में यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उसे वर्तमान में अनुदान प्राप्त है अथवा नहीं।
6. अन्य महाविद्यालयों की चयनित छात्रा को बजट प्रदाय करने की कार्यवाही व पावती अग्रणी महाविद्यालय स्तर से प्रमाण-पत्रों का परीक्षण कर की जाएगी। **किसी भी स्थिति में संबंधित संस्था को बजट स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।**
 7. पात्र छात्राओं को राशि वितरित करने से पूर्व घोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जाए। (घोषणा पत्र का प्रारूप संलग्न है।)
 8. किसी भी स्थिति में प्राप्त बजट में से परम्परागत शिक्षा हेतु प्रति छात्रा छात्रवृत्ति राशि रु. 300.00 (रु0 पांच सौ) प्रतिमाह की दर से शैक्षणिक सत्र हेतु 10 माह के लिए रु. 3000.00 (रु. पाँच हजार) से अधिक नहीं होगी व तकनीकी/चिकित्सा शिक्षा हेतु प्रति छात्रा छात्रवृत्ति राशि रु. 750.00 (रु0 सात सौ पचास) प्रतिमाह की दर से शैक्षणिक सत्र हेतु 10 माह के लिए रु. 7500.00 (रु. सात हजार, पांच सौ) से अधिक नहीं होगी। प्राचार्य सुनिश्चित करें कि पात्र छात्रा छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने से अंचित न रहें।
 9. किसी भी परिस्थिति में योजना की राशि अन्य मद में जमा न करे।
 10. पात्र छात्रा को वितरित राशि व विगत कक्षा के प्राप्तांक का लेखा महाविद्यालय के लेखापाल व प्रतिभा किरणयोजना के प्रभारी द्वारा किया जाकर प्राचार्य से प्रमाणिक अभिलेखों व उपलब्ध कराये गये साफ्टवेयर में अद्यतन कर दिनांक **15. सितम्बर, 2009** तक अनिवार्य रूप से अग्रणी महाविद्यालय द्वारा संकलित कर ई-मेल (**compcellhedu@mp.gov.in**) पर प्रेषित करें। महाविद्यालय पृथक-पृथक से जानकारी का प्रेषण न करें।
 11. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधिकार क्षेत्रांतर्गत आने वाले सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को संदर्भित पत्रानुसार पात्र छात्राओं को समय से योजना का लाभ प्राप्त हो जाए।
 12. जारी किया गया बजट आयुक्त कोष-लेखा के सेन्ट्रल सर्वर पर लोड करा दिया गया है। उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करते हुए तत्काल योजना का क्रियान्वयन किया जाए।

Ashu
आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 15/09/2009

क्रमांक / 1244/837/
आउशि/योजना/शा.8/09

प्रतिलिपि-

1. निज सहायक माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, म प्र शासन, भोपाल म प्र।
2. निज सहायक प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, म प्र शासन, भोपाल म प्र।
3. संयुक्त संचालक (बजट), उच्च शिक्षा, म.प्र. - की ओर सूचनाार्थ।
4. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा म.प्र.
5. संबंधित कोषालय अधिकारी म.प्र।

Ashu
आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश